खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर

एफए. प्रकरण संख्या : 0001/2018

1. Vijay Kumar s/o Late Sh. Tikam Das FBO, M/s Shyam Milk Product, Anand Nagar Colony, Khairthal, Tehsil Kishangarhbas, Alwar.
2. Pratap Kumar, Sole Proprieter, M/s Shyam Milk Product, Anand Nagar Colony, Khairthal, Tehsil Kishangarhbas, Alwar.

.....Appellants

Versus

1. State of Rajasthan, through the Commissioner, Food Safety Rajasthan, Jaipur.
2. Food Safety Officer, Office of the Director Medical & Health Service, Jaipur, Rajasthan.

-----Respondents

उपस्थितः–

1. श्री सिया राम शर्मा एवं श्री दिनेश गर्ग अधिवक्तागण अपीलार्थीगण
2. श्री अभिजित शर्मा अधिवक्ता वास्ते श्री वी.डी. गठाला, राजकीय अधिवक्ता विपक्षी सं.1

:: आदेश :: दिनांक : 08.05.2018

1. यह अपील न्याय निर्णायक अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 04.12.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण पर संयुक्त रूप से 2,50,000 रूपये (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूप्ये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण का निस्तारण योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी ने अपीलार्थीगण के द्वारा अपराध स्वीकार किए गए आधार पर करना बताया है लेकिन अपीलार्थीगण का कथन है कि उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया है।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 29.11.2017 को विजय कुमार के हस्ताक्षर से एक प्रार्थनापत्र पेश हुआ है जिसमें यह लिखा है कि वह लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार करता है।

इसपर विजय कुमार के हस्ताक्षर है। इसमें अपराध के आवश्यक तत्व वर्णित नहीं है जिससे यह पता चल सके कि क्या स्वीकारोक्ति थी तथा इसपर केवल मात्र एक अपीलार्थी के हस्ताक्षर है।

4. ऐसे प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारित नहीं किया जा सकता। लोक अदालत के तहत निर्णय करने का अधिकार योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी को नहीं था और न ऐसे प्रकरण लोक अदालत में निस्तारण हेतु भेजे जा सकते है। योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूर्णतया अविधिक एवं दोषपूर्ण है। अतः संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः न्याय निर्णायक अधिकारी अलवर के द्वारा उनपके प्रकरण संख्या 61/2017 सरकार बनाम विजय कुमार वगैरा निर्णय दिनांक 04.12.2017 विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी दिनांक 08 अगस्त, 2018 तक इस प्रकरण का आवश्यक रूप से निपटारा कर दे।

पक्षकारान दिनांक 18.05.2018 को न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देंगे, पुनः उपस्थित होने के लिए अलग से कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया जायेगा। मूल रिकार्ड विधि अनुसार लौटाया जाए।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

आदेश आज दिनांक 08.05.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर